फर्द अहकाम

कानाराम बनाम अर्जुन व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 07/2025 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/05/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। गत आदेशानुसार पालकार्थी जवाब प्रार्थनापत्र ली. आई. प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जवाब बंद किया जाता है। बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. पर सुनी गई। चूंकि प्रार्थी (वादी) की ओर से स्वयं की प्रचलित एजल खातेदारी की भूमि के संदर्भ मौजा में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद अंतर्गत भूमि आ.खे. नं. 41 रकबा 0.1800 है. जो कि प्रार्थीगण मौजा की खातेदारी की भूमि है व सम्बन्धित मौजा में मौके की यथास्थिति बाबत पूर्व के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 12.02.25 को जारी किया गया था जिसके क्रम में बावजूद उपस्थिति दिनांक 10/03/25 के बाद दिनांक को लगातार 03 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ना तो जारी अन्तरिम स्थगन का कोई औपचारिक / मान्य विधिक खण्डन [illegible] ना ही अन्तरिम स्थगन [illegible] कोई [illegible] का ही [illegible] आई. - [illegible] कोई [illegible] किया गया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा मौजा स्वयं की प्रचलित एजल खातेदारी की भूमि के संदर्भ में वाद प्रार्थनापत्र आधारित निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कानाराम बनाम अर्जुन व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 07/2025 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/25	व वादग्रस्तता के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र आंशिक निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर पूर्व अन्तरिम स्थगन दिनांक 12.02.25 को तामीलशुदा मूलवाद स्थाई किया जाता है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि आ.खे.नं. 41 रकबा 0.1800 है. मौजा सुखदेवपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पंजीकृत शुमार होकर फर्द नम्बर से कम है। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर